


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राजस्थान)
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्बाहेडा)

धारा अन्तर्गत - 136 तैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 864 / 2025 दायर दिनांक 9/10/2025 निर्णय दिनांक 20/11/25 रिपोर्ट

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क.स.	नाम	खाता नम्बर	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ौदा राज0 क्षेत्र0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन कलक्टर कपासन आदेश
1	ईन्दरपुरा	46	वर्तमान प्रविष्टी 1. किरानलाल पिता दला सुथार सा. केसरखेडी खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	शुद्ध प्रविष्टी 1. किरानलाल पिता दला सुथार सा. केसरखेडी खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जायेगी राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम ईन्दरपुरा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 46 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जायें का आदेश दिया जाता है।
	हरलाक्षर पटवारी मय मोहर	हरलाक्षर निरदावर	हरलाक्षर मोहर	तहसीलदार मय	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

हरलाक्षर पटवारी
 तहसील-कपासन
 चितौड़गढ़ (राज)

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन
 कपासन जिला-चितौड़गढ़